पत्र संख्या–7/अनु0–10–02/2013 गृ0आ0...../

बिहार सरकार,

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी।

पटना, दिनांक फरवरी, 2017

विषयः– **NDAL-ALTS (Arms Licence Issurance System) के अनुरुप आयुध नियम 2016 के प्रावधानुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित कार्यो के निष्पादन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि NDAL-ALIS (Arms Licence Issuance System) से संबंधित एन0आई0सी0, मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27.01.2017 को Video conference के माध्यम से NDAL-ALIS से संबंधित Presentation (प्रदर्शन) में बताया गया कि NDAL 'साफ्टवेयर' में आंकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 31.03.2017 तक अनिवार्य रुप से कर ली जाय। उक्त तिथि के बाद NDAL में प्रविष्टि बंद हो जानी है। उक्त Video conference में NIC, पटना के परियोजना समन्वयक द्वारा बताया गया कि राज्य के 19 जिलों यथा–अरबल, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी, वैशाली तथा पश्चिमी–चम्पारण (बेतिया) में ALIS सॉफ्टवेयर पर कार्य नहीं हो रहा है। यह चिन्ताजनक स्थिति है। इन जिलों के जिला दण्डाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देकर अपने जिलों में NDAL एवं ALIS के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है।

2. इस संबंध में आपका ध्यान अवर सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र सं0–V–11026/104/2014–Arms (Vol.I) दिनांक 18.08.2016 (छायाप्रति संलग्न) की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयुध नियम, 2016 में शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान करने, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के उत्तराधिकारियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण एवं शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ के क्षेत्र विस्तार के संबंध में पूर्व के नियमों को अधिक्रमित करते हुए नये नियम बनाए गए हैं एवं कतिपय सेवाओं, यथा–नये शस्त्र अनुज्ञप्ति, शस्त्र अनुज्ञप्तियों के नवीकरण आदि के संबंध में नये शुल्क का प्रावधान किया गया है और निदेश दिया गया है कि सभी लंबित मामलों के संबंध में उक्त नये प्रावधानों के आलोक में ही कार्रवाई की जाय। उपरोक्त "आयुध नियम, 2016" गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट (www.mha.nic.in) पर उपलब्ध है। कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।

3. Video conference के दौरान विभिन्न जिलों के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारियों के द्वारा जिलों की शस्त्र शाखाओं में पूर्णकालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर की अनुपलब्धता का उल्लेख करते हुए बताया गया कि शस्त्र शाखाओं में कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं रहने के कारण अन्य शाखाओं के कम्प्यूटर ऑपरेटरों से NDAL-ALIS का कार्य लिया जाता है। इससे न तो वैसे कम्प्यूटर ऑपरेटरों में NDAL-ALIS से संबंधित सॉफ्टवेयर की समझ विकसित हो पा रही है और न ही कार्य की निरंतरता ही बन पाती है। यह भी बताया गया कि निकट भविष्य में शस्त्र अनुज्ञप्ति को Online सेवा के रुप में विकसित किया जाना संभावित है। सभी के द्वारा शस्त्र शाखा के लिए एक पूर्णकालिक कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि जिला के शस्त्र शाखा के लिए एक पूर्णकालिक कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/—

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः—7/अनु0—10—02/2013 गृ0आ0...../ पटना, दिनांक फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः—7/अनु0—10—02/2013 गृ0आ0 1561/ पटना, दिनांक 21 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

20/2/17